रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2005/माघ 27, 1926

No. 161] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2005/MAGHA 27, 1926

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2005

का.आ. 214(अ).— यतः कुछ परिवर्तन/परिवर्धन , जिन्हें केन्द्र सरकार दिल्ली मास्टर प्लान-2001 के घरेलु उद्योगों की सूची (अनुलग्नक-III क) में करने का प्रस्ताव करती है, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4.11.2004 की सार्वजनिक सूचना का.आ. 1231(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (3) द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन/परिवर्धन पर यथापेक्षित आपत्तियां/ सुझाव उक्त सूचना जारी होने की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे ।

2. यतः प्रस्तावित परिवर्तनों/परिवर्धनों के बारे में 63 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने तथा अपनी सिफारिश देने के लिए आयुक्त (नियोजन), डीडीए की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी । केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद मास्टर प्लान 2001 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

3. अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

उपांतरणः

दिनांक 01.8.1990 के भारत के राजपत्र के पृष्ठ 96 पर निम्नलिखित परिवर्धन किए जाएं : -

(i) दिनांक 16.8.2004 की राजपत्रित अधिसूचना सं0 का.आ. 928 (अ), जिसे 17 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के क्रम में अनुलग्नक-III क में दी गई घरेलू उद्योगों की सूची में निम्नलिखित परिवर्धन किए जाएं : -

क्र.सं.	उद्योग का नाम
1	आटा चक्कियां
2	बेकेलाइट स्विचों की असेम्बली
3	मापन उपकरणों (मरकरी और खतरनाक सामग्रियों से संबंधित कार्य करने को छोड़कर) की असेम्बली और मरम्मत
4	क्ले और प्लास्टर ऑफ पेरिस से मार्डलिंग
5	डेयरी उत्पाद उदाहरणार्थ क्रीम, घी, पनीर आदि
6	ड्राई क्लीनिंग (बड़े वर्कशापों को छोड़कर)
7	इनेमेलिंग विटरियस (कोयला का उपयोग किए बिना)
8	खस टाटी
9	दूध से क्रीम निकालना
10	जूट उत्पादों का निर्माण
11	बिन्दी उत्पादन
12	ड्राईंगों और डिजाइनों को बड़ा करने सहित ड्राईंगों की फोटो कापियां करना
13	शेम्पों की पैकेजिंग
14	हेयर ऑयल की पैकेजिंग
15	रबर की मोहरें
16	स्क्रीन प्रिंटिंग
17	बर्तन धोने के पाउडर (केवल मिक्सिंग और पैकेजिंग)

(ii) दिनांक 16.8.2004 की राजपत्र अधिसूचना सं0 का आ0 928 (अ) जिसे 17 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में आंशिक संशोधन करके निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं : -

(क) मद सं0 (xviii), (xx) और (xxi) पर उल्लिखित उद्योगों की नामावली में निम्नवत परिवर्तन किए जाएं : -

मद सं0	संशोधित नाम
xviii	इलैक्ट्रिकल गेडगेट्स, कूलर/हीटर आदि की असेम्बली और मरम्मत
xx	सिलाई मशीनों की असेम्बली और मरम्मत
xxi	टाइपराइटर (फोंट कास्टिंग को छोड़कर) की असेम्बली और मरम्मत

(ख) गैर अनुमेय गतिविधियों की सूची में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को शामिल किया जाए :-

(i) कोयला जलाना
(ii) सी एफ सी गैसों का प्रयोग

(ग) रसायनों के भंडारण के संबंध में धारा को निम्नवत संशोधित किया जाए :-

' खतरनाक रसायन का उत्पादन, भंडारण और आयात नियम, 1989 की अनुसूची-i और / अथवा ii तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1990 के अंतर्गत सूचीबद्ध रसायनों का भंडारण करना प्रतिबंधित होगा ।

[सं. के-13011/6/2004-डीडीआईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव